

19/12/23

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी को नोटिस पूर्व में रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 3 माह का समय व्यतीत हो चुका है। विप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विप्रार्थी को न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई। अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थी स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिसमें से प्रार्थी एवं विप्रार्थी के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत् नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा करा कर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) 12.2023

बायतु

जिला - बाड़मेर

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : वाद/2023/1309

दिनांक : 19/12/23

प्रार्थी
हर आम खास ग्राम पंचायत, जेतुसिंह
पुत्र प्रयागसिंह जाति राजपूत, निवासी
कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा

बनाम

* विप्रार्थी
तहसीलदार गिड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 215/2023

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा कसुम्बला चारणान पटवार हल्का कसुम्बला भाटियान तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नं. 22 रकबा 4.1521 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



सहायक कलेक्टर (SDO)
(विवेक व्यास) प्रतु
उपखण्ड अधिकारी-बायतु

क्रमांक : वाद/2023/1310 - 1314

दिनांक : 19/12/23

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवार हल्का रतेउ तहसील गिड़ा जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उप स्थित रह कर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी हर आम खास ग्राम पंचायत, जेतुसिंह पुत्र प्रयागसिंह
4. विप्रार्थी तहसीलदार गिड़ा
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/नागाणा/गिड़ा

सहायक कलेक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी
बायतु
जिला - बालोतरा
19.12.2023